फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

जगदीश बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 एलआरएक्ट. नम्बर 27 सन–2020

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
17.09.2020	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जावे। तहसीलदार राजस्व नोहर से प्रार्थना पत्र के सम्बध में जबाब/रिपोर्ट हेतु लिखा जावे पत्रावली वास्ते तलबी/रिपोर्ट हेतु दिनांक 02.11.2020 को पेश हो।	
2.11.20	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब प्रतिवादीगण तलबी हेतु अन्य कार्य में पत्रावली दि० ..... को पेश हो। 18.11.20	
18/11/20	वकील प्रार्थीगण उप० / पैरोकार राज उप० / जबाब प्रा.पत्र हेतु समय चाहा / पत्रावली वास्ते जबाब हेतु दि० 16.12.20 को पेश हो।	
16/12/20	वकील वादी उपस्थित प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा चाही गई गिरदावरी प्राप्त नहीं है अतः उपरोक्त मद प्रार्थनापत्र लिख कर नया वाद पेश करना चाहते हैं नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ वाद प्रार्थनापत्र खारिज करावें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रारंभिक स्तर पर ही विचारणीय है इसलिये प्रार्थी को नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ खारिज किया जाता है पत्रावली नस्ति दफ्तर हो।	

Scanned with CamScanner